

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 3883 / 2025

डॉ. रोहिताश्व कुमार शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, अजमेर।
4. अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर।
5. डॉ. ललिता वर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद ग्रेड द्वितीय, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, मालपुरा, टोंक।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.08.2025
आदेश की दिनांक : 01.09.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री नितेश कुमार गर्ग, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कानूनी चिकित्सक के पद पर कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 08.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, उदयपुरवाटी, झुंझुनू में किया गया है। अपीलार्थी को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ग्रेड द्वितीय से ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नत किया गया। उनका तर्क है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 31.03.2016 जिसमें नियम 56 में संशोधन किया गया और अधिवार्षिकी आयु में 60 वर्ष से 62 वर्ष तक सेवा लिये जाने का

प्रावधान किया गया। इसी तरह एलोपैथिक में भी संशोधन किया गया। अपीलार्थी दिनांक 31.03.2025 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु होने पर सेवानिवृत्त होने जा रहा है और उसने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2988/2025 पेश की है, जिसमें 62 वर्ष तक निरंतर सेवा किये जाने का उल्लेख है और दिनांक 04.03.2025 को माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार की है और इस प्रकार अपीलार्थी 62 वर्ष तक सेवाये निरंतर देने का अधिकारी है तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्राप्त करने का हकदार है, जिसके क्रम में अपीलार्थी को विभाग द्वारा सेवायें दिये जाने की स्वीकृति दी गई, परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 08.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, उदयपुरवाटी झुंझुनू पदस्थापित किया गया है, जो नियम विरुद्ध है और उक्त आलोच्य आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया है। उनका तर्क है कि आदेश दिनांक 04.01.2023 के द्वारा स्थानान्तरण पर प्रतिबंध है, मात्र 10 दिवस के लिये प्रतिबंध हटाया गया था और प्रतिबंध होने के बावजूद अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो नियम विरुद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.08.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर जनहित में किया गया है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर कार्यरत रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर ली जानी है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष आधारहीन है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में कानूनी चिकित्सक के पद पर कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 08.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय आयुर्वेद

चिकित्सालय, उदयपुरवाटी, झुंझुनू में किया गया है। अपीलार्थी कानूनी चिकित्सक के पद पर कार्य कर रहा है और उसे उक्त पद से हटा दिया गया है तथा उसका अन्यत्र स्थानांतरण किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश अनुलग्नक-1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यक्षीन 62 वर्ष की आयु तक कार्यरत चिकित्सकों से प्रशासनिक पदों के दायित्वों का निर्वहन नहीं करवाये जाने के संबंध में लिये गये सक्षम निर्णय के संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रशासनिक कार्य नहीं करवाये जाने के आधार पर अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः उक्त तर्कों में कोई बल न होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य